



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092021-229392
CG-DL-E-03092021-229392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3285]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943

No. 3285]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3588(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH 80 के किमी 215.00 किमी से 260.00 किमी तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-80 के किमी 215.00 किमी से 260.00 किमी तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	DLAO साहिबगंज	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH80 के कि.मी.	झारखंड	साहिबगंज	राजमहल	1	राजाबाजार
						2	फतेजनपुर
						3	दिलावरपुर

		215 से 260 तक			ऊद्धवा	1 राजाभीठा
--	--	------------------	--	--	--------	------------

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3588(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 215.00 to Km. 260.00 of the NH-80 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management, and operation in the State of JHARKHAND as specified in the schedule given below:

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH80 in the State of JHARKHAND on the stretch from km. 215.00 to km. 260.00.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	DLAO Sahibganj	215KM To 260KM	JHARKHAND	SAHIBGANJ	Rajmahal	1 Raja Bazar 2 Fatejanpur 3 Dilawarpur
					Udhwa	1 Rajabhita

[F. No. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80]

RAJESH GUPTA, Director